



राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

E-mail: rsscjaipur@gmail.com rssccoachingjaipur@gmail.com
Phone - 0141-2744283, 0141-2742468

क्रमांक: एफ.5/6/प्रशिक्षण/2019/

दिनांक :

समरत जिला खेल अधिकारी,
क्षेत्रीय / जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र,
राजस्थान।

विषय:- महाराणा प्रताप एवं गुरु वशिष्ठ पुरस्कार वर्ष 2018-19 के लिए आवेदन पत्र भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु राज्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को महाराणा प्रताप एवं गुरु वशिष्ठ पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है। अतः आप अपने जिले के उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों के आवेदन पत्र जो योग्यता को पूर्ण करते हों, उन खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों से संलग्न फॉर्म (फार्म एवं नियम परिषद की वेबसाईट www.rssc.in पर भी उपलब्ध है) में सभी प्रमाण पत्रों सहित दिनांक 30.04.2019 तक मुख्यालय पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

नियमानुसार नामांकन विन्दु 5 अनुसार निम्नलिखित शर्तों की पालना भी सुनिश्चित करें :-

- 5.1 प्रतिवर्ष परिषद से मान्यता प्राप्त अथवा भारतीय खेल संघो के सम्बद्ध राज्य स्तरीय खेल संघो, राजस्थान ओलम्पिक संघ अथवा जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र से अप्रैल माह में पुरस्कारों के लिए अपने—अपने खेल में परिषद द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। इन आवेदनों के जमा करने की अन्तिम तिथि 30 अप्रैल या अप्रैल माह का आखरी कार्य दिवस होगा। ये संस्थाएँ अधिकतम 5 योग्य खिलाड़ियों के आवेदन दे सकती हैं। 5 से अधिक खिलाड़ियों के आवेदन मान्य नहीं होंगे अथवा प्रथम 5 खिलाड़ियों के आवेदन पर ही विचार किया जायेगा।
- 5.2 संबंधित संस्थाएँ सभी आवेदन एक साथ और नियमों में उपरोक्त निर्धारित संख्या में ही भेजेंगे। 5 से अधिक खिलाड़ियों के आवेदन पर प्रथम 5 खिलाड़ियों के आवेदन पर ही विचार किया जायेगा।
- 5.3 संस्थाओं से 5 से अधिक खिलाड़ियों के आवेदन प्राप्त होने पर भी अगर कोई योग्य आवेदन आये तो परिषद अपने सुरक्षित अधिकार के तहत विचार कर सकती है।
- 5.4 नामांकन भेजने के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता निम्नानुसार होंगे –
 - (i) राजस्थान ओलम्पिक संघ – अध्यक्ष / महा-सचिव।
 - (ii) राज्य खेल संघ – अध्यक्ष / महा-सचिव / अवैतनिक
 - (iii) जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र – खेल अधिकारी / प्रभारी
- 5.5 उपरोक्त वर्णित विन्दु 5.4 के पदाधिकारी के अलावा नामांकन किये हुये अन्य किसी भी आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

- 5.6 यह पुरस्कार उसी कलैण्डर वर्ष के लिए दिये जायेंगे जिस वर्ष के लिए यह आमंत्रित किये गये है।

5.7 पिछले 3 वर्षों के अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी का प्रदर्शन परिषद द्वारा जारी निर्धारित प्रोफार्मा में ही आवेदन/नामांकन कर भेजा जायेगा।

5.8 आवेदन भेजने वाली संस्थाओं को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि नामांकन करने वाले खिलाड़ी अनुशासित हैं अथवा किसी भी आपराधिक और नैतिक प्रकृति के कृत्यों में शामिल नहीं हैं। अगर कोई खिलाड़ी केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या किसी निजी संस्था में कार्यरत है तो आवेदन भेजने वाली संस्था इन सभी से यह प्रमाणित करवा ले कि नामांकन करने वाले खिलाड़ी अनुशासित हैं अथवा किसी भी आपराधिक और नैतिक प्रकृति के कृत्यों में शामिल नहीं हैं। यदि आवेदन करने वाले खिलाड़ी के खिलाफ नियुक्ता द्वारा कोई आरोप पत्र, अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है तो उससे संबंधित पूर्ण की गई/लम्बित कार्यवाही का विवरण भी नियुक्ता से प्राप्त किया जावें। समिति द्वारा यह सुनिश्चित करने के पश्चात खिलाड़ी का चयन किया जावें।

5.9 खेल संघों के अलावा प्राप्त आवेदनों को संबंधित महासंघ/भारतीय ओलम्पिक संघ को भेजकर सत्यापन करेंगे कि आवेदन करने वाले खिलाड़ी की उपलब्धियों का पूर्ण विवरण अथवा खिलाड़ी के खिलाफ कोई जांच तो नहीं चल रही है। जैसे कि चेतावनी, दण्डित, उम्र धोखाधड़ी, डोपिंग, यौन उत्पीड़न आदि।

संलग्न – आवेदन पत्र

(अरुण कुमार हसीजा)
सचिव

क्रमांक: एफ.5/6/प्रशिक्षण/2019/161 to 197
प्रतिलिपि:- सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक : २५/४/२०१९

1. अध्यक्ष / महासचिव, राजस्थान ओलम्पिक संघ, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि अपनी अभिशंषा सहित योग्यता पूर्ण करने वाले खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों से आवेदन पत्र भरवाकर भिजवाने का श्रम करावें।
 2. अध्यक्ष / सचिव, राजस्थान संघ, को भेजकर निवेदन है कि अपनी अभिशंषा सहित योग्यता पूर्ण करने वाले खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों से आवेदन पत्र भरवाकर भिजवाने का श्रम करावें।
 3. अतिरिक्त निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर को अध्यक्ष महोदय के अपलोकनार्थ।
 4. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर को इन निर्देशों के साथ कि रथानीय समाचार पत्रों में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करावें। साथ ही परिषद की वेबसाईट www.rssc.in पर अपलोड भी करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(अरुण कुमार हसीजा)
सचिव

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्,

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

“महाराणा प्रताप पुरस्कार”

आवेदन प्रपत्र वर्ष 2018–19 हेतु

1. खेल का नाम :
2. खिलाड़ी का नाम :
3. पिता/पति का नाम :
4. वर्तमान पता :
5. फोन/मोबाइल नं. :
6. स्थाई पता :
7. क्या खिलाड़ी राजस्थान का मूल निवासी है?
8. राजस्थान में निवास करने की तिथि तथा स्थान
9. जन्म तिथि (अंको में) :
(शब्दों में) :
10. शिक्षा कहां प्राप्त की/कर रहे हैं उसका पूर्ण विवरण :
11. व्यवसाय कहां—कहां किया/कर रहे हैं उसका पूर्ण विवरण :
12. गत तीन वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों का विस्तृत विवरण वर्षवार स्पष्ट रूप से संलग्न प्रपत्र के अनुसार तैयार कर आवेदन पत्र के साथ भिजवायें।
13. खिलाड़ी को विशेष उल्लेखनीय सफलता, उनका खेल व प्रदर्शन संबंधी प्रमाण—पत्र एवं समाचार पत्रों आदि के उदाहरण आदि आवश्यकता होने पर अलग पृष्ठ पर विशेष टिप्पणी भी दी जावे।
14. क्या खिलाड़ी को किसी प्रतिस्पर्धा में निष्कासित तो नहीं किया गया है:
- किसी अन्य स्रोत से कोई पुरस्कार मिला हो तो उसका विवरण :

नोट :- विगत तीन वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी ही आवेदन करें एवं परिषद की वेबसाईट www.rssc.in पर नियमों का अवलोकन कर पात्रता पूर्ण होने पर ही आवेदन करें।

हस्ताक्षर खिलाड़ी

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त दी गई जानकारी सही है। महाराणा प्रताप पुरस्कार प्रदान करने हेतु श्री/ श्रीमती(खेल) में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के नियमों के अनुसार योग्यता रखते हैं। अतः इनके नाम की अभिशंषा की जाती है।

अध्यक्ष/महासचिव
राजस्थान ओलम्पिक संघ
हस्ताक्षर मय मोहर

(उपरोक्त में से किसी एक के द्वारा प्रमाणित करवाया जाना अनिवार्य है।)

अध्यक्ष/महासचिव
राज्य खेल संघ
हस्ताक्षर मय मोहर

खेल अधिकारी/प्रभारी
जिला/क्षेत्रीय खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र
हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्,

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

महाराणा प्रताप पुरस्कार वर्ष 2018–19 हेतु

प्रस्तावित सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी का विवरण

प्रपत्र

1. खिलाड़ी का नाम :

2. खेल का नाम :

3. फोन / मोबाइल नं. :

4. खेल उपलब्धियों का विवरण:-

क्र. सं.	प्रतियोगिता का नाम	आयोजन स्थल	प्रतियोगिता का वर्ष	प्राप्त स्थान

हस्ताक्षर खिलाड़ी

अध्यक्ष / महासचिव
राजस्थान ओलंपिक संघ
हस्ताक्षर मय मोहर

अध्यक्ष / महासचिव
राज्य खेल संघ
हस्ताक्षर मय मोहर

खेल अधिकारी / प्रभारी
जिला / क्षेत्रीय खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र
हस्ताक्षर मय मोहर

(उपरोक्त में से किसी एक के द्वारा प्रमाणित करवाया जाना अनिवार्य है।)

नोट :- (1) उपरोक्त समस्त प्रतियोगिताओं के प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें।
(2) उपरोक्त प्रपत्र स्पष्ट अक्षरों में गत तीन वर्षों का वर्षवार विवरण भरा हुआ होना चाहिए।

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्

सर्वाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

“गुरु वशिष्ठ पुरस्कार”

आवेदन प्रपत्र वर्ष 2018–19 हेतु

1. खेल का नाम :
 2. प्रशिक्षक का नाम :
 3. पिता/पति का नाम :
 4. वर्तमान पता :
 5. फोन/मोबाइल नं. :
 6. प्रशिक्षक राजस्थान का मूल निवासी है?
 7. राजस्थान में निवास करने की तिथि तथा स्थान
 8. जन्म तिथि (अंको में) :
(शब्दों में) :
 9. शिक्षा एवं खेल योग्यता कहां प्राप्त की हैं उसका पूर्ण विवरण :
 10. व्यवसाय कहां—कहां किया/कर रहे हैं उसका पूर्ण विवरण :
 11. गत तीन वर्षों में आप द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों की उपलब्धियों का विस्तृत विवरण वर्षवार (संलग्न प्रपत्र के अनुसार) प्रमाण पत्र सहित एवं अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रशिक्षण करने वाले खिलाड़ियों से नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस बात का प्रमाण पत्र लिया जावें कि खिलाड़ियों को प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है, आवेदन पत्रों के साथ संलग्न करें।
 12. प्रशिक्षक को विशेष उल्लेखनीय सफलता, उनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों का प्रदर्शन संबंधी प्रमाण—पत्र एवं समाचार पत्रों आदि के उदाहरण आदि आवश्यकता होने पर अलग पृष्ट पर विशेष टिप्पणी भी दी जावे।
 13. किसी अन्य स्त्रोत से कोई पुरस्कार मिला हो तो उसका विवरण :
- नोट :- विगत तीन वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षकी ही आवेदन करें एवं परिषद की वेबसाईट www.rssc.in पर नियमों का अवलोकन कर पात्रता पूर्ण होने पर ही आवेदन करें।

हस्ताक्षर प्रशिक्षक

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त दी गई जानकारी सही है। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार प्रदान करने हेतु
श्री/श्रीमती (खेल)..... में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के नियमों के
अनुसार योग्यता रखते हैं। अतः इनके नाम की अभिशंषा की जाती है।

अध्यक्ष/महासचिव
राजस्थान ओलम्पिक संघ
हस्ताक्षर मय मोहर

अध्यक्ष/महासचिव
राज्य खेल संघ
हस्ताक्षर मय मोहर

खेल अधिकारी/प्रभारी
जिला/क्षेत्रीय खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र
हस्ताक्षर मय मोहर

(उपरोक्त में से किसी एक के द्वारा प्रमाणित करवाया जाना अनिवार्य है।)

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्,
सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

गुरु वशिष्ठ पुरस्कार आवेदन प्रपत्र वर्ष 2018–19 हेतु

प्रस्तावित सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी का वर्षवार विवरण

प्रपत्र

क्र. सं.	खिलाड़ी का नाम	प्रतियोगिता का नाम	आयोजन स्थल	प्रतियोगिता का वर्ष	प्राप्त स्थान

हस्ताक्षर प्रशिक्षक

अध्यक्ष / महासचिव
राजस्थान ओलम्पिक संघ
हस्ताक्षर मय मोहर

(उपरोक्त में से किसी एक के द्वारा प्रमाणित करवाया जाना अनिवार्य है।)

अध्यक्ष / महासचिव
राज्य खेल संघ
हस्ताक्षर मय मोहर

खेल अधिकारी / प्रभारी
जिला / क्षेत्रीय खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र
हस्ताक्षर मय मोहर

नोट :- (1) उपरोक्त समर्त प्रतियोगिताओं के प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें।
(2) उपरोक्त प्रपत्र स्पष्ट अक्षरों में गत तीन वर्षों का वर्षवार विवरण भरा होना चाहिए।